प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या
....
इलाहाबाद।

पत्रांक / परीक्षा / 4408-10 /2018–19 दिनांक 5.7.2018

विषयः– सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरूष / महिला) परीक्षा–2018 दिनांक 29.07.2018 (पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक) के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद ने अपने पत्र सख्या–1(v) / परीक्षा / ई–6 / एल0टी0 चयन / 2017–18 दिनांक 13.06.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरूष / महिला) परीक्षा–2018 दिनांक 29.07.2018 (पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक) आयोजित होगी।

उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है, जिसके लिए आप द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध करायी जानी है। शासन / प्रशासन के मंशानुरूप **नगर क्षेत्र, नैनी, झूँसी एवं फाफामऊ में स्थित समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है।**

उक्त पत्र एवं निर्धारित प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के वेबसाइट *www.diosallahabad.in* पर उपलब्ध है। सहमति पत्र अधोहस्ताक्षरी के E-mail: diosallahabad@gmail.com पर भी भेजा जा सकता है।

अतः उक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरूष / महिला) परीक्षा–2018 दिनांक 29.07.2018 (पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक) के लिए सहमति निर्धारित प्रारूप पर आज ही देना सुनिश्चित करें, जिससे समयान्तर्गत विद्यालयों की सूची अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), इलाहाबाद के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्राप्त करायी जा सके। निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। इसमें शिथिलता कदापि न बरती जाय अन्यथा की दशा में सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–उक्तवत् प्रारूप।

भवदीय
5.07.18
(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या / परीक्षा / 4408-10 /2018–19 तददिनांक :

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विद्यालयों से सहमति प्रपत्र प्राप्त होते ही तदनुसार विद्यालयों की सूची प्राप्त करा दी जायेगी–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र सख्या–1(v) / परीक्षा / ई–6 / एल0टी0 चयन / 2017–18 दिनांक 13.06.2018 के अनुक्रम में।
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर), इलाहाबाद के पत्र सं0–782 / ए0जे0ए0–1 / 2018 दिनांक 03.07.2018 के अनुक्रम में।

5.07.18
(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

परीक्षा तिथि : 29 जुलाई, 2018 (दिन–रविवार)

परीक्षा का नाम : सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरूष / महिला शाखा) परीक्षा–2018

(पूर्वान्ह 11.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक)

सहमति–प्रपत्र

1. विद्यालय का नाम–	
2. विद्यालय का स्पष्ट पता (मार्ग / गली / मोहल्ला के नाम सहित) एवं पिन कोड–	
3. प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या का नाम–	
4. परीक्षा केन्द्र प्रभारी का नाम, पदनाम सहित–	
5. बैंक खाते में अंकित नाम– (क) बैंक खाता संख्या एवं शाखा का नाम– (ख) बैंक जनपद कोड एवं आई0एफ0सी0 कोड–	
6. परीक्षा केन्द्र प्रभारी का टेलीफोन नं. (कार्यालय, आवास तथा ई–मेल आई डी)–	
7. फैक्स नम्बर, यदि कोई हो–	
8. परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कमरें में पूरी परीक्षा की रिकार्डिंग हेतु सी0सी0टी0वी0रिकार्डिंग की व्यवस्था है अथवा नहीं –	
9. कक्षों की संख्या–	
10. कुल बैठने की क्षमता (प्रति कमरा / हाल 2 वर्ग मीटर प्रति अभ्यर्थी के अनुसार)–	
11. बैठने की क्षमता के अनुसार क्या फर्नीचर पर्याप्त है(कितने कमरों हेतु कुर्सी,मेज की व्यवस्था है और कितने कमरों में बेंच की व्यवस्था है)–	
12. विद्युत व्यवस्था है अथवा नहीं–	
13. जेनरेटर उपलब्ध है अथवा नहीं–	
14. क्या शौचालय / मूत्रालय की समुचित व्यवस्था है ?	
15. क्या महिलाओं हेतु शौचालय / मूत्रालय की व्यवस्था है ?	
16. क्या साइकिल / वाहन स्टैण्ड की व्यवस्था है?	
17. क्या परीक्षा संचालन के लिए स्टाफ आदि पर्याप्त है ?	
18. क्या पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई है ?	
19. क्या विद्यालय कभी परीक्षाओं हेतु प्रतिवारित (Debarred) रहा है ?	
20(क)जिला कलेक्ट्रेट से परीक्षा केन्द्र की दूरी– (ख)बस स्टैण्ड से परीक्षा केन्द्र की दूरी– (ग)रेलवे स्टैण्ड से परीक्षा केन्द्र की दूरी–	

उपर्युक्त विवरणों सहित विद्यालय का आरक्षण सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरूष / महिला शाखा) परीक्षा–2018, 29 जुलाई, 2018 (दिन–रविवार) (पूर्वान्ह 11.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक) के आयोजन हेतु आरक्षित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तिथि को अन्य किसी परीक्षा हेतु विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है और न बनाया जायेगा ।

नोट–प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या द्वारा हस्ताक्षरित सहमति प्रपत्र ही मान्य होगा।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर–

पूरा नाम–

मुहर–